भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4370

20 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

छत्तीसगढ़ में आयुष केंद्र

4370. श्री भोजराज नाग:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद को सम्पूर्ण देश में लोकप्रिय बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए/कोई आयुष योजना बनाने का विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कोई नया आयुष केन्द्र खोलने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): सरकार अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से आयुर्वेद को पूरे देश में लोकप्रिय बनाने में सफल रही है। स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति के प्रचार-प्रसार के अधिदेश को पूरा करने के लिए आयुष मंत्रालय आयुष में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य देश भर में आबादी के सभी वर्गों तक पहुंचना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर आरोग्य मेले, योग फेस्ट/उत्सव, आयुर्वेद पर्व आयोजित करता है, आयुष पद्धति के महत्वपूर्ण दिवस मनाता है, स्वास्थ्य फेयर/मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है, सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य देखभाल की आयुष पद्धति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान आदि आयोजित करता है।

इसके अलावा, मंत्रालय देश में विभिन्न आयुष पद्धतियों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

i. आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन, जिसका नाम बदलकर अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) कर दिया गया है।
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।
iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।
iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण।
v. 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।
vi. सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को अनिवार्य औषधियों की आपूर्ति।
vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम।
viii. उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना, जहाँ सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

(ग) और (घ): वर्तमान में, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नया आयुष केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****